II - Semester MJC - ACCOUNT

B.Com ~~Part~~ - II Semester (1)

Business organization and Managment

सामेदारी - Partnership

Q:— साझेदारी क्या है। इनके कौन-कौन सी विशेषता है।

Ans— जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाने और उसके लाभ को आपस में बाटने और अपनी सेवा या पूंजी लगाने के लिए आपस में सहमत हो तो ऐसी संस्था को साझेदारी कहते है।

साझेदारी की आवश्यकता तब होती है जब एकल व्यापारी को या व्यवसाय को बढाने के लिए अधिक धन, या कुशल लोगो की आवश्यकता होती है। क्योंकि एक ही व्यक्ति में सारे गुण नहीं होते है। किसी के पास धन है तो किसी के पास बुद्धि।

उदाहरण के तौर पर एक अंधा था और एक लंगड़ा। अंधा देख नहीं सकता था और लंगड़ा चल नहीं सकता था। इन दोनो गांव से लगे कुछ ही दूर पर बाजार में जाना था। दोनो ने आपस में समझौता किया कि अंधा के कंधा पर लंगड़ा बैठ जायेगा अंधा चलेगा और लंगड़ा रास्ता बतायेगा। इस तरह से दोनो बाजार जाकर अपनी आवश्यकता के वस्तु ले लिये। कहने का तात्पर्य कि दोनो अपूर्ण थे लेकिन आपस में मिलने की वजह से दोनो की अपूर्णता सम्पूर्णता में बदल गयी। इसी तरह साझेदारी व्यवसाय कहिे किसी का धन तो किसी की बुद्धि के द्वारा बड़ा से बड़ा काम किया जा सकता है।

भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार "साझेदारी उन व्यक्तियों का आपसी संबंध है, जो उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक साझेदार द्वारा संचालित व्यवसाय का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं।"

साझेदारी की विशेषता — साझेदारी के निम्न विशेषता होती है —

(1) दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना — साझेदारी हमेशा कम से कम दो व्यक्तियों के बीच जो की समझौता करने की क्षमता रखते हो के मध्य होती है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार एक अवयस्क, पागल या न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता। यदि किसी भी कारण साझेदार की संख्या दो से कम हो जाने पर साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। कंपनी अधिनियम की धारा 464 के अनुसार एक साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या वही होगी जो निर्धारित की जायेगी जो कि 100 से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन कंपनी अधिनियम 2014 के नियम-10 के अन्तर्गत यह संख्या 50 तक सीमित कर दी गयी है।

(2) साझेदारों के बीच समझौता — साझेदारों के मध्य लिखित या मौखिक समझौता होना आवश्यक है। लेकिन समझौता हमेशा लिखित ही होना चाहिए ताकि मतभेद होने पर आसानी से सुलझाया जा सके।

(3) लाभों का विभाजन — साझेदारों का उद्देश्य हमेशा लाभ कमाना होता है। जो संस्था परोपकार के उद्देश्य से कार्य

का रही है। वह साझेदारी नहीं कहलाती है। साझेदारों का लाभ में हिस्सा होना आवश्यक है। व्यापार की हानि में हिस्सा आवश्यक नहीं है।

(4) व्यवसाय का होना — साझेदारी के अन्तर्गत वैध व्यवसाय करके लाभ कमाना आवश्यक है।

(5) व्यवसाय का संचालन — साझेदारी में व्यवसाय का संचालन सभी साझेदार या उनमें से चुने हुए कुछ साझेदार भी कर सकते हैं।

(6) <u>अधिनियम के द्वारा ही संचालित</u> — साझेदारी व्यवसाय भारतीय साझेदारी अधिनियम-1932 द्वारा संचालित किया जाता है।

(7) <u>असीमित उत्तरदायित्व</u> — सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। हानि की स्थिति या देनदारियां अधिक होने की उनकी निजी सम्पत्ति से भी कर्ज चुकाया जाता है।

(8) <u>पृथक अस्तित्व नहीं</u> — साझेदारों का अस्तित्व फर्म से अलग नहीं होता है। बाह्य अनुबंध फर्म पर लागू होने के साथ प्रत्येक साझेदार पर भी लागू होता है।

x —— x —— x

Dr. Raj Kumar Prasad
Associate Prof, Dept. of Commerce
Sher Shah College, SASARAM